Gen. No.

विविध बैंक प्रकरण संख्या 48/2018 (RCMS 2018/00094) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्री गुरूनानक बालिका स्कूल, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. मैसर्स गणपति फ्रोस्ट इण्डस्ट्रीज – प्रो. संजय शर्मा 2 संजय शर्मा पुत्र श्री राज कुमार 3. मंजू बाला शर्मा पत्नी संजय शर्मा निवासी 1/302 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर 4. गुरप्रीत मिगलानी पुत्र रोशन लाल मिगलानी निवासी 321 विनोबा बस्ती , श्रीगंगानगर एवं फैंसी बूट हाऊस, गोल बाजार, श्रीगंगानगर

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. गणपति फ्रोस्ट इण्डस्ट्रीज–प्रो. संजय शर्मा, संजय शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 10.00 लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.03.12 को स्वीकृत किया गया था जिसके गारंटर मंजू बाला एवं गुरप्रीत मिगलानी है और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजय शर्मा की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर मे स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2102 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.06.2016 को 10,36,599/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.07.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गए। अप्रार्थीगण मै. गणपति फ्रॉस्ट इण्डस्ट्रीज–प्रो. संजय शर्मा, संजय शर्मा, मंजूबाला एवं गुरप्रीत

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मिगलानी स्वयं पर नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति की रसीद की प्रति भी पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी संजय शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मै. गणपति फ्रॉस्ट इण्डस्ट्रीज–प्रो. संजय शर्मा, संजय शर्मा को दिनांक 26.03.2012 को 10.00 लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके गारन्टर मंजूबाला एवं गुरप्रीत मिगलानी है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजय शर्मा की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 30.06.2012 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 11.07.2016 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. गणपति फ्रॉस्ट इण्डस्ट्रीज–प्रो. संजय शर्मा, संजय शर्मा एवं गारंटर मंजूबाला एवं गुरप्रीत मिगलानी पर नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति भी पेश की है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणियों एवं गारन्टर पर उक्त धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी उनके द्वारा प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.07.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 11.07.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. गणपति फ्रॉस्ट इण्डस्ट्रीज–प्रो. संजय शर्मा, संजय शर्मा एवं गारंटर मंजूबाला एवं गुरप्रीत मिगलानी के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप हस्ताक्षरशुदा धारा 13(2) के नोटिस की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस के रसीद की प्रति भी पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी संजय शर्मा की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी संजय शर्मा द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 314 (क्षेत्रफल 8' गुणा 12') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर (राज.) में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर